न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 84 / 2009 **दायर दिनांकः 16.07.2009**

उनवान

1. श्रीकिशन पुत्र ग्यारस्या उर्फ रमला जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
2. मथुरालाल पुत्र ग्यारस्या उर्फ रमला जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
3. पानाचन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झारखण्ड
4. कलावती पुत्री हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
5. बहादुरसिंह पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
6. भूरसिंह पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
7. छोटूलाल पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड

7 / 1 रिंकेश कुमार पुत्र छोटूलाल जर्ये वली माता चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल

7 / 2 पूजा पुत्री छोटूलाल जर्ये वली माता चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल

7 / 3 चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल जाति मीणा निवासी झारखण्ड

8. तारा चन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झारखण्ड तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 23.03.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर टी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया तहसील

अटरू जिला बारां में वादीगण के पिता एवं दादा ग्यारस्या उर्फ रमला पुत्र पांचु जाति मीणा निवासी झारखण्ड मजरा डडवाडा तहसील अटरू के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता सं0 23 की ख0नं0 461 की 4 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 465 की 30 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 466 का रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ख0नं0 468 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 का रकबा 39 बीघा 4 बिस्वा आराजीयात स्थित थी जो नामान्तरण संख्या 99 आदेश तहसील अटरू से आराजी ख0नं0 465 का रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा ख0नं0 468 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 का रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि सीलिंग मे अधिग्रहण किये जाने से खाता राज दर्ज किया गया था वाद पत्र के साथ में नकल पुरानी जमाबन्दी खाता संख्या 23 सम्वत् 2032 से 2035 व नकल नामान्तरण सं0 99 तथा निर्णय दिनांक 19.10.1977 न्यायालय उप जिला कलेक्टर महोदय छबडा सरकार बनाम रमला पुत्र पांचू जाति मीणा निवासी झारखण्ड पेश है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात ख0नं0 465 का रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा के नवीन ख0नं0 578 का रकबा 1.74 है0 व 585 का रकबा 3.29 है0 बनाये है इसी तरह से ख0नं0 468 का रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा के नवीन ख0नं0 586 का रकबा 0.47 है0 बनाये है। वाद पत्र के साथ में नवीन जमाबन्दी पुरानी जमाबन्दी व मिलान क्षैत्रफल पेश है जो काबिल गौर है। वादीगण का वारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैः–

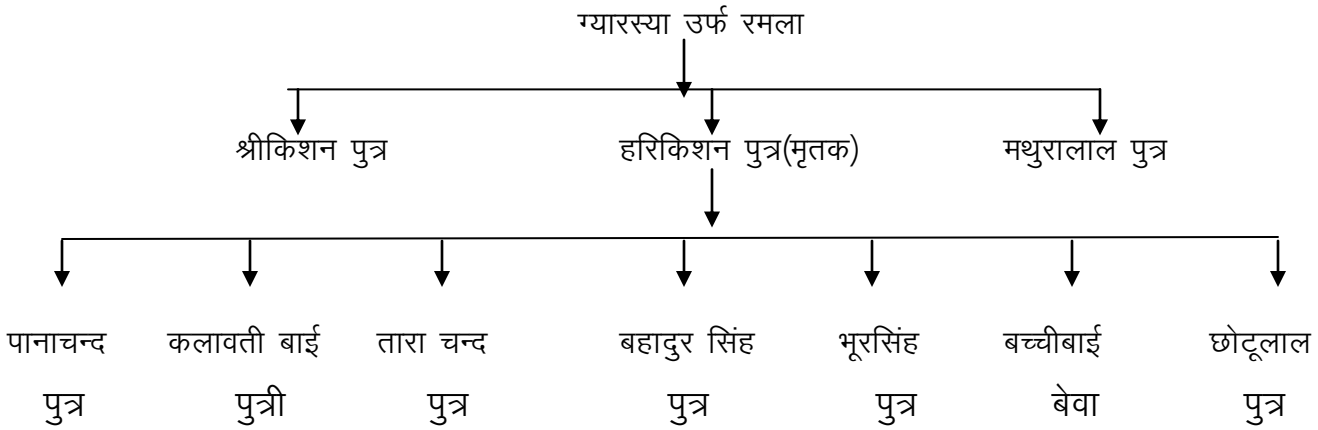

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में से 33 बीघा 6 बिस्वा आराजी जोत सीमा से अधिक होने की वजह से राज0 सरकार द्वारा अधिग्रहण करते हुये नामान्तरण सं0 99 द्वारा राज खाता दर्ज करदी गई थी उक्त आदेश के खिलाफ वादीगण के पिता द्वारा उप जिला कलेक्टर महोदय, छबड़ा में कार्यवाही की गई जहां से दिनांक 19.10.1977 को न्यायालय उपजिला

कलेक्टर महोदय छबडा द्वारा यह आदेश प्रदान किये कि उक्त भूमि अधिग्रहण करने योग्य नही पाई गई है। अतः उसके विरूद्ध अधिग्रहण जोत सीमा की कार्यवाही निरस्त की गई। उक्त आदेश पारित होने के बाद भी आराजी ख0नं0 578 का रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 का रकबा 3.29 है0 586 की 0.47 है0 प्रतिवादी के नाम ही दर्ज खाता चली आ रही है जबकि उक्त आराजीयात को वादीगण ही अपने पूर्वजो के समय से ही शान्ती पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। और आज भी उक्त आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है अधिग्रहण करने के बाद से आज दिन तक उक्त आराजीयात प्रतिवादी द्वारा अपने कब्जे में नही ली गई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कई बार आराजी खाते दर्ज करवाने बाबत् निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी आज कल आज कल करते आ रहे है। और बाद में दिनांक 09.10.1977 माननीय न्यायालय उपजिला कलेक्टर महोदय छबडा की पालना करने से साफ मना कर दिया और माननीय न्यायालय में खाता दर्ज करवाने की कार्यवाही करने की सलाह दी तथा यह भी धमकी दी कि स्थगन लेकन नही आओगे तो इस वर्ष जमीन को राज कब्जा लेकर मुनाफे काश्त से जुपवायेगें उक्त आशय की धमकी दिनांक 16.06.2009 को दी गई। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी को उनके द्वारा किए जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक कृत्य में सफल हो गया ओर वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन राज0 लेकर आराजी को मुनाफे काश्त पर दे दिया तो वादीगण अपने स्वामित्व की आराजी से तथा आराजी पर प्राप्त अपने हक हकूकों से वंचित हो जायेगें जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति अन्य प्रकार से होना सम्भव नही है इस वजह से वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते है आराजी ख0न0 578 का रकबा 1.74 है0, ख0न0 585 का रकबा 3.29 है0, ख0न0 586 का रकबा 0.47 है0, निर्णय दिनांक 19.10.1977 बइजलास न्यायायल उपजिला कलेक्टर महोदय, छबडा की अनुपालना में उक्त आराजीयात पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। वादीगण द्वारा धारा 80 सीपी0सी0 मियादी दो माह राज0 सरकार को प्रेषित किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी विवादित आराजी को कब्जा राज लेकर मुनाफा काश्त से जुतवाने पर आमादा है उक्त आशय की धमकी प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.06.2009 को वादी क्रम 1 को दी गई इस वजह से वाद आवश्यक प्रकृति का हो गया है आवश्यक प्रकृति का होने की वजह से माननीय न्यायालय में धारा

80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। अतः धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 09.06.2009 को प्रतिवादी द्वारा आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने से मना करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 16.06.2009 को आराजी कब्जे राज लेने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित शुल्क पर दावा हाजा पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। विवाद ग्रस्त आराजी वाके ग्राम व माल झारखण्ड तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादीगण वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि–

(अ) वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 578 का रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 रकबा 3.29 है0 इसी तरह से ख0नं0 586 का रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया तहसील अटरू पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जाने की वह वादीगण को उनके स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

(स) अन्य न्यायाचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को दिलाई जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की की गई, प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र का चरण सं0 1 जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से स्वीकार नही है। वाके ग्राम एवं माल खेडली नाहरिया तहसील अटरू जिला बारां में वादीगण के पिता एवं दादा ग्यारस्या उर्फ रमला जाति मीणा निवासी झारखण्ड मजरा डडवाडा में तहसील अटरू में पुराना खाता सं0 23 की खसरा नं0 461 की 4 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं0 465 की 30 बीघा 13 बिस्वा खसरा नं0 466 की 1 बीघा 1 बिस्वा ख0नं0 468 की 2 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 39 बीघा 3 बिस्वा आराजीयात

स्थित थी जो नामान्तरण सं0 99 आदेश तहसील दिनांक 14.06.1977 से सीलिंग मे अधिग्रहित होकर खसरा नं0 465 की 30 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 466 की 1 बीघा कुल 33 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक दर्ज की गयी है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि सरकारी है। शेष तथ्य अस्वीकार है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है। चरण में अंकित तथ्यों को साबित करने का भार स्वयं वादी पर है। चरण संख्या 3 अस्वीकार है। चरण में अंकित तथ्यों को साबित करने का भार स्वयं वादी पर है। चरण संख्या 4 अस्वीकार है। चरण में अंकित निर्णय माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर महोदय छबडा का दिनांक 19.10.1977 को निर्णय पारित हो जाना संशयास्पद है चूंकि माननीय उप जिला कलक्टर महोदय छबडा से उक्त निर्णय की पालना में कोई इजराय तहसील हाजा को प्राप्त नही हुयी है। राजकीय स्तर पर तथाकथित निर्णय की पालना में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार तहसील हाजा में उपलब्ध नही है। अतः माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि श्रीमान उपजिला कलक्टर छबडा की सीलिंग की पत्रावली जिसमें सीलिंग में अधिग्रहीत भूमि को मुक्त करने का आदेश दिया गया हो सिवायचक दर्ज करने का नामान्तरण पर जांच भू0 अ0नि0 दिनांक 14.06.1977 अंकित है। तथा श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा निर्णय वाद में ही किया गया है। इस दिनांक से निर्णय उपजिला कलक्टर महोदय छबडा के निर्णय होने मे मात्र 4 माह का अंतर है। मात्र 4 माह में सीलिंग सिवायचक हो जाने के विरूद्ध फैसले की नकल प्राप्त करने में प्रतिवादीगणों को नोटिस/सम्मन जारी होने में सरकार की ओर से पैरोकारो के लिये युक्तियुकत अवसर मिलनें जैसी अवधि नही होने से मूल पत्रावली न्यायालय उपजिला कलक्टर महोदय छबडा को देखें बिना किसी निष्कर्ष पर पहुचना संभव नही है। सीलिंग भूमि के इस प्रकार के निर्णय हो जाने के बाद भी माननीय जिला कलक्टर महोदय, कोटा/बारां से निर्णय की पालना से पूर्व समीक्षा करवाया अनिवार्य होता है। यह भी हो सकता है कि माननीय जिला कलक्टर महोदय कोटा/बारां को तथाकथित निर्णय समीक्षा हेतु भेजा गया हो अतः चरण अस्वीकार है। चरण संख्या 5 अस्वीकार है। राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 के तहत उत्तराधिकार तथा कब्जे की रिपोर्ट (1) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो किसी सम्पत्ति का या किसी भूमि या उसके लाभों में अन्य अधिकार या हित का कब्जा उत्तराधिकार या अन्तरण द्वारा या अन्यथा प्राप्त करें जिन्हें इस अधिनियम या तदद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करना अपेक्षित है, वह ऐसे तथ्यों को गांव के पटवारी के नोटिस में लायेगा और ऐसा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर उसकी रिपोर्ट जिस तहसील में चह भूमि

स्थित है, उसके तहसीलदार को या तो सीधे या गांव के पटवारी या भू–अभिलेख निरीक्षक के मार्फत करेगा। यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क या अन्यथा निरअर्हताग्रस्त है, तो उस व्यक्ति का संरक्षक या उसकी सम्पत्ति का अन्य व्यक्ति ऐसी रिपोर्ट करेगा। इस चरण में वादी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधान की पालना नही की है। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद अवधिपार है। चरण सं0 6 अस्वीकार है। धारा 80 (2) सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना तथा दो माह तक कार्यवाही की प्रतीक्षा किया जावे की प्रक्रिया आज्ञापक प्रकृति Mandatory nature की है। चरण सं0 7 अस्वीकार है। चरण संख्या 8 अस्वीकार है। चरण संख्या 9 अस्वीकार है। चरण संख्या 10 अस्वीकार है। अन्य तथ्य बहस निवेदन किये जावेगे।

दावे व जवाब दावा के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की

तनकी सं0 – 01. आया वाद पत्र के मद नं0 1, 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पूर्वजों के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। जिसकों प्रतिवादी द्वारा सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिग्रहण करके अपने नाम खाता दर्ज करली।

(भा.सं0 वादीगण)

तनकी सं0 – 02. आया वादीगण के पिताजी द्वारा उपजिला कलेक्टर महोदय छबडा के यहां आराजी सीलिंग में अधिग्रहण के खिलाफ कार्यवाही की थी जहां से दिनांक 19.10.1977 को निर्णय हो चुका है जिसमें सीलिंग में अधिग्रहण करने का आदेश निरस्त हो चुका है।

(भा.सं0 वादीगण)

तनकी सं0 – 03 आया उक्त आराजी वादीगण को पूर्वजों के समय से ही वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस वजह से तथा निर्णय दिनांक 19.10.1977 उपजिला कलेक्टर महोदय छबडा की पालना में वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम खाता दर्ज कराने के अधिकारी है।

(भा.सं0 वादीगण)

साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_2 के शपथ पेश किये तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी ख0नं0 578 रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 रकबा 3.29 है0 ख0नं0 586 रकबा 0.47 है0

ग्राम खेडली नाहरिया पर वादीगसण को खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

ग्राम खेडली नाहरिया की खाता संख्या 23 ख0नं0 461 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा ख0नं0 465 रकबा 30 बीघा 13 बिस्वा ख0नं0 466 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा ख0नं0 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 39 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता एवं दादा ग्यारस्या उर्फ रमला के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी थी जो नामान्तरण सं0 99 से ख0नं0 465 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा ख0नं0 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि सिंलिंग में अधिग्रहण की जाकर खाता राज कर दी गई।

उक्त 33 बीघा 6 बिस्वा आराजी सिंलिंग अधिग्रहण किये जाने पर वादीगण के पिता द्वारा न्यायालय उपखण्ड छबडा में कार्यवाही की गई, न्यायालय उपखण्ड छबडा के निर्णय 19.10.1977 को आदेश दिये गये कि उक्त भूमि अधिग्रहण करने योग्य नही है, जो प्रदर्श 8, 7, 5, 6 रिकार्ड से साबित पाया गया।

आराजी ख0नं0 578 रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 रकबा 3.29 है0 ख0नं0 586 रकबा 0.47 है0 प्रतिवादी के खाते दर्ज चली आ रही है। लेकिन उक्त भूमि पर वादीगण का पूर्वजो के साक्ष्य से ही शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि को प्रतिवादी द्वारा कब्जे राज में नही लिया गया।

प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता हैः—

तनकी सं0 — 01. आया वाद पत्र के मद नं0 1, 2 में वर्णित आराजीयात वादीगण के पूर्वजों के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की है। जिसकों प्रतिवादी द्वारा सीलिंग कार्यवाही के तहत अधिग्रहण करके अपने नाम खाता दज्र करली। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वाद पत्र के मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादीगण के पूर्वजो की स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि थी जो प्रदर्श 8 से साबित होता है, तथा नामा0 सं0 99 से ख0नं0 465 रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा व ख0नं0 468 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा कुल 33 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक की जाकर (भूमि सिंलिंग में अधिग्रहण) की जाकर खाता राज कर दी गई, जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित पाया जाता है। अतः तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 — 02. आया वादीगण के पिताजी द्वारा उपजिला कलेक्टर महोदय छबडा के यहां आराजी सीलिंग में अधिग्रहण के खिलाफ कार्यवाही की थी जहां से दिनांक 19.10.1977 को निर्णय

हो चुका है जिसमें सीलिंग में अधिग्रहण करने का आदेश निरस्त हो चुका है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण के पिता जी द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा से सीलिंग अधिग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.1977 से कोई भूमि अधिग्रहण योग्य नही पाई जाने से अधिकतम जोत सीमा की कार्यवाही निरस्त की गई, जो प्रदर्श 5 से स्पष्ट होता है, अतः तनकी नं0 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं0 – 03 आया उक्त आराजी वादीगण को पूर्वजों के समय से ही वादीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस वजह से तथा निर्णय दिनांक 19.10.1977 उपजिला कलेक्टर महोदय छबडा की पालना में वादीगण उक्त आराजी को अपने नाम खाता दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण रिकार्ड व साक्ष्य अनुसार उक्त विवादित भूमि पर कब्जा काश्त है, तथा प्रतिवादी द्वारा भूमि को कब्जे राज नही लिया गया। वादीगण न्यायालय उपजिला कलक्टर छबडा के निर्णय दिनांक 19.10.1977 की पालना मे सिलिंग सीमा में अधिग्रहण भूमि को वापस अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः तनकी नं0 3 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: कियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खेडली नाहरिया की भूमि ख0नं. 578 रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 रकबा 3.29 है0 ख0नं0 586 रकबा 0.47 है0 भूमि न्यायालय उपखण्ड छबडा द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.1977 से भूमि अधिग्रहण योग्य नही पाई जाने से उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 84/2009

उनवान

1. श्रीकिशन पुत्र ग्यारस्या उर्फ रमला जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
2. मथुरालाल पुत्र ग्यारस्या उर्फ रमला जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
3. पानाचन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झारखण्ड
4. कलावती पुत्री हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
5. बहादुरसिंह पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
6. भूरसिंह पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड
7. छोटूलाल पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झाडखण्ड

7/1 रिंकेश कुमार पुत्र छोटूलाल जर्ये वली माता चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल

7/2 पूजा पुत्री छोटूलाल जर्ये वली माता चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल

7/3 चन्दन बाई पत्नि स्व0 छोटूलाल जाति मीणा निवासी झारखण्ड

8. तारा चन्द पुत्र हरिकिशन जाति मीणा निवासी झारखण्ड तहसील अटरू जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री मोहन लाल सुमन।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम खेडली नाहरिया की भूमि ख0नं. 578 रकबा 1.74 है0 ख0नं0 585 रकबा 3.29 है0 ख0नं0 586 रकबा 0.47 है0 भूमि न्यायालय उपखण्ड छबडा द्वारा निर्णय दिनांक 19.10.1977 से भूमि अधिग्रहण योग्य नही पाई जाने से उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 16:16:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: